

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(31)राज/वाद/24

जयपुर, दिनांक 14-7-25

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18) व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट मैनुअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अनुसरण में तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री महेश कुमार पाटीदार, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं0 आर/960/2005) को विशिष्ट न्यायालय, अजा/अजजा(अ0नि0प्र0), झालावाड़ में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु विशिष्ट लोक अभियोजक अजा/अजजा(अ0नि0प्र0), झालावाड़ के रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 24,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो तक, के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

नोट:- उक्त नियुक्ति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ में विचाराधीन एस0बी0सिविल रिट पिटीशन सं0 7279/2025 विवेक सक्सैना बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्वधीन होगी।

आज्ञा से

Sd/
(सुरेश चन्द बंसल)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधिमंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलक्टर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 13 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने एवं राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर से राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
- 14 रक्षित पत्रावली।

14/7/25
(सुरेश चन्द बंसल)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(31)राज/वाद/24

जयपुर, दिनांक 14-7-25

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18) व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट मैनुअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अनुसरण में तथा स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 36 (सी) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री शैलेन्द्र सिंह पंवार, अधिवक्ता (एनरोलमेंट नं0 आर/972/1997) को विशिष्ट न्यायालय (एन.डी.पी.एस.एक्ट मामलात) झालावाड़ में राज्य पक्ष की ओर से आपराधिक प्रकरणों की पैरवी व अभियोजन पक्ष का संचालन करने हेतु विशिष्ट लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस.एक्ट मामलात) झालावाड़ के रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशिप रुपये 24,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो तक, के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

नोट:- उक्त नियुक्ति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ में विचाराधीन एस0बी0सिविल रिट पिटीशन सं0 7256/2025 मोहम्मद तौकीर आलम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।

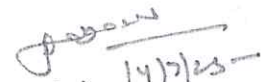
आज्ञा से



(सुरेश चन्द बंसल)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधिमंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलक्टर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 13 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने एवं राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर से राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
- 14 रक्षित पत्रावली।


14/7/25
(सुरेश चन्द बंसल)
शासन सचिव, विधि